प्रेस नोट दिनांक- 10.05.2021 थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

गांवो में कानून व्यवस्था बनाये रखने व कोविड – 19 वायरस से बचाव तथा आगामी त्यौहार को शान्ति पूर्वक मनाने के सम्बन्ध में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों व बीडीसी सदस्यों व गांव के सभ्रान्त व्यक्तियों तथा धर्मगुरूओ के साथ की गई मीटिंग।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "ग्राम पंचायत चुनाव समाप्ति के पश्चात गांवों में विवाद न होने व कानून व्यवस्था बनाये रखने व कोविड – 19 वायरस से बचाव तथा आगामी त्यौहार को शान्ति पूर्वक मनाने" के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ के पर्यवेक्षण / निर्देशन में श्री दिनेश चन्द्र चौधरी, प्रभारी निरीक्षक चिल्हिया द्वारा गांवों में चुनाव के बाद विवाद रोकने व गांवों में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा कोविड – 19 वायरस से बचाव व आगामी त्यौहार को शान्ति पूर्वक मनाने के सम्बन्ध में थाना क्षेत्र चिल्हिया के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों व बीडीसी सदस्यों तथा गांवों के सम्मानित व्यक्तियों व धर्मगुरूओ की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मीटिंग की गई। आयोजित मीटिंग में छोटे छोटे झगड़ों / विवादों को पुलिस के संज्ञान में लाने तथा उनका उचित निस्तारण करने की अपील की गई तथा सभी ग्राम प्रधान एंव बीडीसी सदस्यों ने पुलिस / प्रशासन को आवश्वासन दिया कि किसी भी हालत में गांव की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनायेगें। मीटिंग में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों तथा गांव के सम्भ्रान्त व्यक्ति को कोविड – 19 वायरस से बचाव / सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रसाशन द्वारा दिये गये आदेशों – निर्देशों के अनुपालन हेतु हिदायत किया गया तथा धर्मगुरूओ को आगामी त्यौहार को शान्ति पूर्वक कोविड- 19 महामारी के नियमो का पालन करते हुए मनाने हेतु अनुरोध किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 10.05.21 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद में चिन्हित कुल 399 कण्टेनमेण्ट जोन में से 233 कण्टेनमेण्ट जोन की चेकिंग किया गया व कण्टेनमेण्ट जोन की सतत चेकिंग अभियान के तहत अनावश्यक आवाजाही को रोका जा रहा है। कोविड - 19 से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा” कोविड 19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरूकता अभियान व कण्टेनमेण्ट जोन की चेकिंग के अभियान के अन्तर्गत, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु कन्टेमेन्ट जोन के चेकिंग की कार्यवाही की गयी। लाऊड हेलर के माध्यम से आम जन-मानस को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया जिससे नोवेल कोरोना वायरस को हराया जा सके। कोविड - 19 से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने की अपील की गई।

प्रेस नोट दिनांक 10.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर
कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाया गया।

इस क्रम में आज दिनांक 10-05-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 का उल्लंघन करने वाले 326 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल ₹ 61,250/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई।

सराहनीय कार्य दिनांक 10-05-2021
यातायात अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही।

यातायात नियमों व लाकडाउन उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 10-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 766 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 247 वाहनों का चालान कर ₹ 2,57,200/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट- दिनांक 10/05/2021 थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

01 नफर शराब तस्कर गिरफ्तार।

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अवैध शराब बिक्री, निष्कर्षण व परिवहन की रोकथाम हेतु” चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री रमेश चंद्र पांण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक, इटवा के कुशल निर्देशन में तथा श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया के नेतृत्व में थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा दिनांक 10/05/2021 को चेकिंग के दौरान अभियुक्त- साधू सरन पुत्र चोखई साकिन तिवारीपुर थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 44/21धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त का नाम पता विवरण-

साधू सरन पुत्र चोखई साकिन तिवारीपुर थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी-

10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

1- हे0का0 कैलाश नाथ यादव

2-आरक्षी नीरज चौहान